न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर

बइजलास श्री परसाराम आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र 126/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
रामकुंवार पुत्र स्व. पेमाराम जाति माली निवासी ग्राम सालवा तहसील व जिला नागौर।		1. रामस्वरूप पुत्र नरसिंगराम 2. रामनिवास पुत्र नरसिंगराम 3. जुगतीराम पुत्र नरसिंगराम 4. अनिल कुमार पुत्र नरसिंहराम जातियान माली निवासीगण सालवा तहसील व जिला नागौर। 5. पतासी बेवा नरसिंह जाति माली निवासी सालवा तहसील व जिला नागौर। 6. मैनेजर, बैंक ऑफ बडौदा शाखा किले की ढाल नागौर। 7. जंवरीलाल पुत्र पेमाराम जाति माली निवासी सालवा तहसील व जिला नागौर। 8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर।

आवेदन अधीन अधारा 128 राज. भू. राज.अधिनियम

आदेश

दिनांक :- 22-5-17

प्रार्थी की ओर से निम्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस्तदुआ की कि, प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 7 की खातेदारी का खेत खसरा नं. 80 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा मौजा सालवा मे स्थित है। तथा प्रार्थी के खेत के चिपते ही दक्षिणी तरफ अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की सहखातेदारी का खेत खसरा न. 81 रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा मौजा सालवा मे स्थित है। खेत की खतौनी की प्रमाणित प्रतिया साथ मे पेश है।

यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 से 5 प्रार्थी के साथ खेत की सीव को लेकर विवाद कर रहे है तथा जानबूझकर प्रार्थी के खेत की दक्षिणी माठ को नुकशान कारित कर रहे है तथा पिछले काफी समय से सीव को लेकर विवाद किया हुआ है तथा आये दिन सीव माठ को नष्ठ कर इधर उधर खिसकाने की कार्यवाही करते है इसलिये प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के मध्य खेतो के सीमांकन, सीमाज्ञान एवं खेत की सीव को लेकर विवाद है जिसके संबध मे पूर्व मे दिनांक 01.06.2004 को प्रार्थी ने अपने खेत खसरा नं. 80 का सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार नागौर के समक्ष आवेदन पेश किया जिस पर तहसीलदार नागौर के आदेशानुसार पटवारी हल्का भदाणा द्धारा व भू.अ.नि. जोधियासी द्वारा मोके पर आकर खेतो का नाम कर सीमा कायम की गई जिसे अप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने मन्जूर नही किया उक्त सीमाज्ञान की रिपोर्ट साथ मे पेश है।

यह है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य खेत की सीव व सीमाज्ञान एवं सीमाकंन का विवाद निरन्तर रहता आया है इसलिये उक्त खेतो का मौके पर राजस्व टीम के जरिये नाप करवाकर सीमांकन व पत्थर

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर

राजस्व प्रार्थना पत्र 126/2016
रामकुंवार बनाम रामस्वरूप

गढी हेतु यह आवेदन पेश किया है पक्षकारान के मध्य सीमाज्ञान को लेकर भविष्य मे किसी प्रकार का बडा विवाद नही हो इसलिये खेतो का सीमाज्ञान करवाकर सीवो पर पत्थर गढी करवायी जानी उचित एवं न्याय संगत है जिसके लिए तहसीलदार नागौर को आदेश दिया जाना न्याय संगत है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब किये गये अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 की तरफ से वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 8 की तरफ से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अ प्रार्थी संख्या 6 व 7 की तलबी शेष है।

वकुलाय उपस्थित बहस वकुलाय सुनी गयी।

प्रकरण मे प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 80 मौजा सालवा जिसके पडौस मे चिपते ही दक्षिण तरफ अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 के सहखातेदारी का खेत खसरा नं. 81 स्थित है। प्रार्थी ने बताया की प्रार्थीके खातेदारी का खेत खसरा नं. 80 के अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 प्रार्थीके खेत की सींव माठ को नष्ट कर इधर उधर खिसकाने की कार्यवाही करते है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 के मध्य खेतो की सीमांकन को लेकर विवाद है। प्रार्थी ने तहसीलदार नागौर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के खेतो का नाप चौक करने का पेश किया। जो शामिल पत्रावली है। उक्त प्रकरण मे मात्र पक्षकारो के खेतो का नाप चौक कर सीमाज्ञान किया जाना है। जिससे किसी भी पक्षकार के खातेदारी अधिकारो पर कोई हनन नही होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 80 एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 के खातेदारी के खेत खसरा नं. 81 मौजा सालवा का नाप चौक कर प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 80 मौजा सालवा पर पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश तहसीलदार नागौर को दिये जाते है। तहसीलदार नागौर पक्षकारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति मे सीमाज्ञान करावे एवं कमिश्नर खर्चे के 2000/- रूपये तय किये जाते है। जो प्रार्थी द्वारा मौके पर ही देय होंगे।

उपखण्ड अधिकारी,
नागौर

आदेश आज दिनांक 22.05.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
(नागौर)